न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी- मांगीलाल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद- अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः- 85/2021

1. चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

वादी..........

बनाम

01. चुतराराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
02. हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
03. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.......

उपस्थित :-

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक :- 31.03.2023

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 581 रकबा 50.02 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज है इसी अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी को [illegible] ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर [illegible] हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक [illegible] तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जो शामिल मिसल किया [illegible] पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर .... राजस्व गांव बाप के पूर्वजों के द्वारा किये बंट्वाड़े के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में बंट्वाड़े किये जाने बाबत पेश किया। विवादित भूमि तथा वादी व प्रतिवादीगणों की अन्य सम्पतियों का उनके पिता ने अपने जीवनकाल में करके अपने-अपने हिस्से में काबिज करवा दिये थे वादी व प्रतिवादीगणों की पैतृक मकान तथा मकान से लगता ही एक बाड़ा है जिसके बंट्वाड़े में वादी को 10 फुट गली की तरफ का हिस्सा दिया गया तथा प्रतिवादीगणों को 40 फुट की रोड़ की तरफ का हिस्सा बंट में दिया गया इस प्रकार विवादित भूमि में वादी को कानासर रोड़ की तरफ तथा उससे आगे लगते हुए ही प्रतिवादीगणों का हिस्सा आया हुआ है। उसी हिस्से अनुसार वादी के दोनों पुत्रों के बंट्वाड़े में प्राप्त भूमि पर मकान बना रखे है तथा वादी व वादी के दोनों पुत्र उन्ही मकानों में बारह ही मास परिवार सहित रहवास करते आ रहे है तथा विवादित भूमि का तथा बाप गांव में स्थित मकान व प्लाट का करीब 30-35 वर्ष पूर्व में बंट्वाड़ा हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगणों के पिता द्वारा पूर्व में किये गए बंट्वाड़े के अनुरूप अपने-अपने हिस्से में आई भूमि में वर्षात का पानी इकट्ठ करने के लिए डिग्गी बना रखी है तथा सिहालू फसल लेने के लिए वादी द्वारा पूर्व से बंट्वाड़े में प्राप्त भूमि में हर वर्ष 8-10 डम्पर बालू रेत डलवाकर अपने बंट की भूमि को उपजाउ बनाया है। इसलिए तहसीलदार को कब्जे के विपरित बंट्वाड़ा प्रस्ताव पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं होने से मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब की जानी न्यायोचित होने से विवादित भूमि की तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट तलब करके मामले का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमि में से वादी के बंट की भूमि को वादी द्वारा पिछले 30-35 वर्षो से खाद बीज तथा मिट्टी डालकर उपजाउ बनाया है प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर कभी-कभी ही काश्त करते है। जबकि वादी अपने बंट की भूमि में ही लगातार रहवास करता आ रहा है तथा हमेशा ही अपनी भूमि को उपजाउ बनाने हेतु मेहनत करता रहता है तथा लाखों रूपये खर्च करके बहुत ही अच्छी तरह उपजाउ बनाई है। जिसको तहसीलदार बाप द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगणों के बंट में बताकर वादी को अपूरणीय क्षति कारित करने की मौका रिपोर्ट पेश की है। जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने से पुनः मौका रिपो[illegible] जानी न्यायोचित होने से दुबारा मौका रिपोर्ट मगवाई जावे। वादी के पक्ष में आपके [illegible] से किये गए बंट्वाड़े से भिन्न प्रस्तुत बंट्वाड़ा प्रस्ताव से वादी के बंट की भूमि हड़पे नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

जा सकती है। इसलिए तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ प्रस्ताव पुनः मगंवाया जावे तथा तहसीलदार बाप को आदेशित किया जावे की मौका रिपोर्ट भी पेश करे जिससे यह तय किया जा सके की कौन पक्षकार किस जगह काबिज है। पूर्व में हुए आपसी सहमति से प्राप्त भूमि को बंटवाड़े में किसी अन्य खातेदार को दिये जाने को कोई प्रावधान नहीं होने से विवादित भूमि की पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मामले का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता वादी ने अपनी आपत्ति में अंकित किया है कि तहसीलदार बाप द्वारा कब्जा काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव पेश न करते हुये कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन कब्जा-काश्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज दौराने दावा पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि विशिष्ट भूमि के उपर वादी का कब्जा है अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.05.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुये तहसीलदार बाप को निर्देशित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार प्रस्ताव पेश करे। तहसीलदार बाप द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4553 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव में निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है-

1. प्रत्येक सहखातेदार को आवंटित किये गये भाग का मूल्य उसी अनुपात में होगा जितना कि उसका हिस्सा कृषि जोत में था।
2. यथा सम्भव सहखातेदार को आवंटित किया जाने वाला भाग कॉम्पैक्ट होगा।
3. यथा सम्भव विद्यमान खेतों का विभाजन नहीं किया जायेगा।
4. यथा सम्भव प्लाट जो सहखातेदार के अलग कब्जे में हो उनको आसामी को ही आवंटित कर दिये जायेगे जब तक कि व उसके हिस्से से अधिक हो।
5. रास्ते की सुविधा।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि एक ही खसरे, खसरा नम्बर 581 रकबा 50.02 बीघा में अवस्थित है जो कि रास्ते पर अवस्थित है और उसी रास्ते से चिपते आनुपातिक रूप से वादी और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा प्रस्तावित किया गया है और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में वर्णित सिद्धान्तों को भी मध्य[illegible] गया है। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को हम [illegible] समझते है।

सहायक कलक्टर बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी जाकर पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 581 रकबा 8.1099 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	चुतराराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2
2	चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2
3	हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम करें इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर बाप जिला जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

वादी..........

बनाम

1. चुतराराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
2. हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.......

दावा अंतर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट **राजस्व वाद संख्या 85/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुद्दई व राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 581 रकबा 8.1099 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	चुतराराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2
2	चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2
3	हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	बाप	581	2.7033 हैक्टेयर	बा-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 [illegible] खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार [illegible] करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा नीचे

बाबत्

मुतालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (जोधपुर)

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.03.2023 जारी की गई।

(स्टाम्प: न्यायालय सहायक जिलाधिकारी बाप जिला जोधपुर (राज.))

(मांगीलाल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested